एमडेन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (5) और राम चंद्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य (6) में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 4, 5, और 6 को विभिन्न आधारों पर संविधान के अनुच्छेद 14 के अतिरिक्त होने के रूप में चुनौती दी गई थी। हालांकि, इस चुनौती को खारिज कर दिया गया और इन प्रावधानों की संवैधानिकता को स्वीकार किया गया। बल्लभदास मथुरादास लखानी और अन्य बनाम म्युनिसिपल कमिटी, मलकापुर (7) में किए गए अवलोकनों के मद्देनजर, और और भी अधिक स्पष्ट रूप से राम मनोहर लाल लोहिया और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (8), और भारत संघ बनाम जेम पैलेस (9) में, उपरोक्त सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हम पर बाध्यकारी हैं और याचिकाकर्ताओं के लिए इस मामले की पुन: परीक्षा की मांग करना संभव नहीं है इस आधार पर कि कुछ प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया था या सुप्रीम कोर्ट के महामहिम के ध्यान में नहीं लाया गया था।

(12) अन्य कोई बिंदु नहीं उठाया गया है। रिट याचिका बिना मेरिट के है और इसलिए लिमिने में खारिज कर दी गई है।

एच.एस.बी.

पी. सी. जैन और सी. एस. तिवाना, न्यायाधीशों के समक्ष

बी. एस. बंसल - याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य - प्रतिवादी

सिविल रिट याचिका संख्या 157, 1978

18 मई, 1978

पंजाब सेवा अभियंता वर्ग 1 पी.डब्लू.डी. (भवन और सड़क शाखा) नियम 1960-नियम 22-किसी भी नियम को ढीला करने की शक्ति-क्या यह शक्ति एक विशेष कठिनाई के मामले में या एक सामान्य स्थिति को पूरा करने के लिए प्रयोग की जानी चाहिए-पात्र अधिकारियों की अनुपलब्धता-क्या यह आधार है

---

(5) ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 548

(6) ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 1629

(7) ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 1002

(8) ए.आई.आर. 1968 इलाहाबाद 100

(9) ए.आई.आर. 1973 राजस्थान 242

इस तरह की शक्ति के प्रयोग के लिए-एक बार शिथिलता की शक्ति का प्रयोग किया जाता है-क्या इसे वापस लिया जा सकता है।

पंजाब सेवा अभियंता वर्ग 1 पी.डब्ल्यू.डी. (भवन एवं सड़क शाखा) नियम 1960 के नियम 22 के अंतर्गत, सरकार को किसी भी नियम की आवश्यकताओं को छोड़ने या शिथिल करने की शक्ति दी गई है; परंतु इस शक्ति का प्रयोग, जैसा कि नियम के पठन से स्पष्ट है, मनमाने और अतार्किक तरीके से नहीं किया जा सकता क्योंकि इस शक्ति के प्रयोग के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत नियम में स्वयं निर्दिष्ट किए गए हैं, जो हैं (क) कि इन नियमों का प्रचालन किसी अनुचित कठिनाई का कारण बनना चाहिए; (ख) कि अनुचित कठिनाई किसी विशेष मामले में होनी चाहिए; और (ग) कि इस मामले को न्यायसंगत और उचित तरीके से निपटाने के लिए उस शक्ति का प्रयोग आवश्यक है। इन शर्तों का अस्तित्व सरकार द्वारा शिथिलीकरण की शक्ति के प्रयोग के लिए एक पूर्व-शर्त है। इस नियम को संपूर्ण रूप से पढ़ना होगा और इसके निर्दोष पठन से यह दिखाई देता है कि नियम निर्माताओं की मंशा सरकार को केवल व्यक्तिगत मामले में ही शिथिलीकरण की शक्ति देने की थी और यह शक्ति सामान्य स्थिति से निपटने के लिए नहीं थी। यह शक्ति केवल व्यक्ति को हुई किसी अनुचित कठिनाई को दूर करने के लिए ही प्रयोग की जा सकती है और वह भी तब, जब इस कठिनाई को दूर करना न्यायसंगत और उचित माना जाए। यदि शिथिलीकरण की शक्ति का प्रयोग सामान्य स्थिति से निपटने के लिए किया जा सकता, जैसे कि जब पदोन्नति के लिए योग्य अधिकारी उपलब्ध नहीं थे, तब नियम का संपूर्ण उद्देश्य विफल हो जाता और सरकार को ऐसी मनमानी शक्ति प्राप्त हो जाती जिसका प्रयोग उस स्थिति में, किसी कठिनाई को दूर करने के बजाय, बड़ी कठिनाई का कारण बनता। इस नियम का उद्देश्य कभी भी सरकार को ऐसी अनियंत्रित और अनिर्देशित शक्ति देना नहीं था जिसका प्रयोग सामान्य रूप से या किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए किया जा सके। नियम के निर्माताओं का इरादा यह था कि सरकार को कुछ शक्ति दी जाए ताकि वह एक अपवादी मामले में न्याय कर सके, जब किसी विशेष नियम की लागूता से किसी विशेष व्यक्ति के साथ कोई गंभीर अन्याय हो रहा था। इसलिए, पदोन्नति के लिए योग्य अधिकारियों की अनुपलब्धता ऐसा आधार नहीं है जिस पर सरकार नियम 22 के अंतर्गत शिथिलीकरण की शक्ति का प्रयोग कर सके।

(अनुच्छेद 10, 11, 14 और 15)

न्यायालय ने यह धारणा की है कि यदि सरकार को यह सूचित किया जाता है कि उसके द्वारा किया गया कोई कार्य उचित या कानूनी नहीं था, तो सरकार के लिए उस सलाह को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं होगी। यदि शिथिलीकरण की शक्ति का अनुचित रूप से प्रयोग किया गया था और सरकार को नियम 22 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके ऐसे शिथिलीकरण की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं था, तो उन व्यक्तियों को, जिनके पक्ष में शिथिलीकरण की शक्ति का प्रयोग किया गया था, कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार अपने पहले के निर्णय, जिसके द्वारा शिथिलीकरण दिया गया था, को छोड़ने से इनकार कर सकती है, और ऐसे व्यक्ति कानूनी रूप से यह दावा नहीं कर सकते कि वे योग्य बन गए हैं और वे कक्षा I सेवा में प्रोन्नत किए जाने के लिए बाद में प्रोन्नत किए जाने वाले लोगों की तुलना में योग्य बने रहेंगे। इस प्रकार, शिथिलीकरण की शक्ति का एक बार प्रयोग हो जाने के बाद, उसे सरकार द्वारा वापस लिया जा सकता है।

(अनुच्छेद 19 और 20)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि:-

(a) कार्यकारी अभियंता के पद से उप-मंडल अभियंता के पद पर प्रतिनियुक्ति के आदेश को निरस्त करने के प्रकार का एक आदेश (संलग्नक P-2) जारी किया जाए;
(b) इसके विकल्प में यह भी प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ता के मामले को उस तिथि से पदोन्नति के लिए विचार किया जाए जब चयन सूची में उनसे कनिष्ठ व्यक्तियों को कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था।
(c) पंजाब लोक सेवा आयोग को निर्देश देने के प्रकार का एक आदेश, जिसमें उन्हें 1975 में पंजाब सरकार द्वारा आयोग को भेजी गई सूची के मामले को कानून के अनुसार पुनः विचार करने और अनुमोदित करने का निर्देश दिया गया हो;
(d) किसी भी अन्य आदेश, निर्देश या दिशा-निर्देश जो इस माननीय न्यायालय को मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित लगे, जारी किए जाएँ;
(e) याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता को प्रदान की जाए;
(f) प्रतिवादियों को पूर्व में सूचना जारी करने की शर्त को कृपया निरस्त किया जाए।

इसके अतिरिक्त, यह प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ता अब तक निम्न पद पर नहीं जुड़ा है। याचिकाकर्ता अभी भी एक कार्यकारी अभियंता है। यह प्रार्थना की जाती है कि लिखित याचिका के लंबित रहने के दौरान, आदेश, संलग्नक P-2 का संचालन, जहाँ तक यह याचिकाकर्ता से संबंधित है और याचिकाकर्ता की कार्यकारी अभियंता के पद से उप-मंडल अभियंता के पद पर प्रतिनियुक्ति रोकी जाए।

कुलदीप सिंह, बार-एट-लॉ के साथ करमिंदर सिंह, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।

ए. एस. सरहदी, ए.जी. (पी) के साथ एन. एस. भाटिया, अधिवक्ता, प्रतिवादियों के लिए।

एच. एल. सिब्बल, अधिवक्ता के साथ जी. सी. मित्तल, अधिवक्ता, निजी प्रतिवादियों के लिए।

निर्णय

प्रेम चंद जैन, न्यायाधीश

(1) हमारा यह निर्णय और आदेश सिविल रिट याचिकाओं संख्या 157, 63, 135, 158, 161, 210 और 280 के 1978 का निपटान करेगा, क्योंकि इन याचिकाओं में सामान्य कानूनी और तथ्यात्मक प्रश्न शामिल हैं। पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा हमारे सामने उठाए गए तर्कों को समझने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखना उचित होगा, जिन्हें सिविल रिट संख्या 157 के 1978 से लिया गया है, और वे इस प्रकार हैं: -

याचिकाकर्ता ने 22 दिसंबर, 1970 को पंजाब सरकार के लोक निर्माण विभाग में पंजाब सेवा अभियंताओं, श्रेणी II, के रूप में सीधी भर्ती के जरिए सेवा में प्रवेश किया। कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति वैधानिक नियमों द्वारा नियंत्रित होती है, जिन्हें पंजाब सेवा अभियंताओं, श्रेणी I, P.W.D. (भवन और सड़क शाखा) नियम, 1960, (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) कहा जाता है। नियमों के अनुसार, सभी योग्य श्रेणी II अधिकारियों को श्रेणी I में पदोन्नति के लिए नियमों के तहत गठित एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचार किया जाता है। याचिकाकर्ता के मामले को, अन्य योग्य अधिकारियों के साथ, स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचार किया गया और उक्त समिति ने 24 श्रेणी II अधिकारियों,

याचिकाकर्ता सहित, को श्रेणी I में पदोन्नति के लिए योग्य घोषित किया। 24 श्रेणी II अधिकारियों को श्रेणी I में पदोन्नति के लिए योग्य घोषित करने के बाद, स्क्रीनिंग समिति ने 14 श्रेणी II अधिकारियों का चयन किया और उन्हें कार्यकारी अभियंताओं के रूप में पदोन्नति के लिए उपयुक्त घोषित किया। याचिकाकर्ता का नाम उन 14 व्यक्तियों की सूची में शामिल था। उस चयन के आधार पर, याचिकाकर्ता, 13 अन्य अधिकारियों के साथ, 5 जुलाई, 1975 को जारी एक आदेश द्वारा कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया। नियुक्ति छह महीने की अवधि के लिए थी या जब तक पंजाब लोक सेवा आयोग (इसके बाद 'आयोग' के रूप में संदर्भित) की अनुमति नियमों के तहत प्राप्त नहीं हो जाती।

(2) यह आगे बताया गया है कि 14 अधिकारियों, जिन्हें चुना गया और कार्यकारी अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था, के साथ-साथ अन्य अधिकारियों के मामले, जिन्हें उपयुक्त नहीं पाया गया था, आयोग को आवश्यक अनुमोदन के लिए भेजे गए थे। चूंकि आयोग की अनुमति पहले छह महीने की नियुक्ति के दौरान प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए याचिकाकर्ता

(3) और अन्य अधिकारियों की कार्यकारी अभियंता के रूप में नियुक्ति को समय-समय पर बढ़ाया गया। प्रतीत होता है कि आयोग ने अनुमति नहीं दी और अंततः पूरी सूची को सरकार के पास वापस भेज दिया।

(4) याचिका में की गई घोषणाओं से पता चलता है कि याचिकाकर्ता, अन्य 13 अधिकारियों के साथ, 29 दिसंबर, 1977 के आदेश के अनुसार, उप-मंडल अभियंता के पद पर पुनः प्रतिनियुक्त किया गया था, और उसी तारीख के एक अन्य आदेश द्वारा, 21 श्रेणी II अधिकारियों, जिनमें उसी दिन प्रतिनियुक्त किए गए 12 अधिकारी भी शामिल थे, फिर से कार्यकारी अभियंताओं के रूप में पदोन्नत किए गए। उक्त सूची में याचिकाकर्ता का नाम नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान याचिकाएं प्रतिवादी संख्या 1 के 29 दिसंबर, 1977 के आदेश को निरस्त करने के लिए उचित आदेश या निर्देश के जारी करने के लिए दायर की गई हैं, जिसमें याचिकाकर्ताओं को कार्यकारी अभियंता के पद से उप-मंडल अभियंता के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया था।

(5) प्रतिवादी 1 और प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अलग-अलग लिखित विवरण दायर किए गए हैं। याचिकाकर्ता की पदोन्नति केवल अस्थायी आधार पर होने के प्रारंभिक आपत्ति के अलावा, वर्तमान याचिका दायर करने के लिए उन्हें कोई कारण नहीं मिलता है, प्रतिवादी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता के रुख को योग्यता के आधार पर विवादित किया है, जिसमें इस आधार पर कहा गया है कि स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशें आयोग की अंतिम अनुमति के अधीन थीं, कि याचिकाकर्ता नियम 22 के तहत सरकार द्वारा दी गई छूट के आधार पर पी.एस.ई. श्रेणी I में पदोन्नति के लिए विचारणीय बना, कि सरकार द्वारा अपनाई गई मापदंडों के आधार पर स्क्रीनिंग समिति द्वारा की गई सिफारिशें पी.एस.ई. श्रेणी II अधिकारियों को नियम 22 के तहत छूट का उपयोग करके श्रेणी I में पदोन्नति के लिए योग्य बनाने से कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की बड़े पैमाने पर अधिकता हुई, कि आयोग ने अस्थायी पदोन्नतियों को मंजूरी नहीं दी क्योंकि उसके विचार में श्रेणी II अधिकारियों को पदोन्नति के लिए योग्य बनाने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई मापदंड अन्यायपूर्ण थे, कि सरकार ने पूरे मामले को फिर से विचार किया और फिर से नियम 22 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करके छूट दी, जिससे 21 व्यक्तियों, जिनमें से 11 वे थे जिन्हें वापस लाया गया था, को अस्थायी आधार पर कार्यकारी अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया, कि याचिकाकर्ता सूची में कनिष्ठ होने के कारण रिक्ति की कमी के लिए कार्यकारी अभियंता के रूप में पदोन्नत नहीं किया जा सकता था, और यह कि अब भी किए गए पदोन्नतियां केवल अस्थायी आधार पर ही हैं क्योंकि वे आयोग की अनुमति के अधीन हैं।

(6) आयोग की ओर से दायर किए गए उत्तर में, सरकार द्वारा लिया गया रुख समर्थित किया गया है। यह भी कहा गया है कि आयोग ने अपनी ड्यूटी वफादारी से निभाई है और इस मामले में उसके द्वारा भेजी गई सलाह मामले की योग्यता पर आधारित और पूरी तरह कानूनी थी।

(7) पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के संबंधित तर्कों पर, पहला प्रश्न जो निर्धारण की मांग करता है, वह यह है कि क्या नियम 22 के तहत ऐसी छूट, जो इस मामले में सरकार द्वारा दी गई है, कानूनी रूप से दी जा सकती है? छूट की शक्ति प्रदान करने वाला नियम 22 इस प्रकार पढ़ा जाता है :-

"22. छूट की शक्ति-

(1) जहां सरकार यह संतुष्ट हो कि इन नियमों के संचालन से किसी विशेष मामले में अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न होती है, वह ऐसे मामले को न्यायपूर्ण और उचित तरीके से निपटाने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले हद तक और ऐसी शर्तों के अधीन, उस नियम की आवश्यकताओं को छोड़ने या छूट देने के लिए आदेश दे सकती है।

(2) इन नियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद, सरकार के लिए यह खुला होगा कि वह किसी भारतीय नागरिक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को सेवा में भर्ती करे, जिस स्थिति में वह आयोग के साथ परामर्श करके नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं के संबंध में और ऐसी नियुक्ति से संबंधित सभी अन्य मामलों के संबंध में जो भी आदेश उचित समझे जाएं, वे पास कर सकती है।"

(7) श्री सिब्बल, प्रतिवादियों के लिए विद्वान अधिवक्ता, ने यह तर्क दिया कि नियम 22 के तहत, सरकार द्वारा 'विशेष मामले' में अनावश्यक कठिनाई को दूर करने के लिए छूट का प्रयोग किया जा सकता है। उनका तर्क यह था कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता और अन्य अधिकारी श्रेणी I में पदोन्नत होने के योग्य नहीं थे; नियम 6(a) और (b) के प्रावधानों में छूट दी गई थी, जिससे कुछ अधिकारी पदोन्नति के लिए योग्य हो गए थे; कि नियम 6 की प्रवृत्ति से किसी विशेष अधिकारी को कोई अनावश्यक कठिनाई नहीं हो रही थी और योग्य अधिकारियों की अनुपलब्धता कभी भी छूट के प्रयोग का आधार नहीं बन सकती है।

(8) दूसरी ओर, श्री कुलदीप सिंह, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता (जिनके तर्क को अन्य विद्वान अधिवक्ताओं ने भी अपनाया), ने यह प्रस्तुत किया कि नियम 22 के तहत, सरकार को किसी भी नियम की आवश्यकताओं को छोड़ने या छूट देने की पूरी शक्ति है; इस नियम में "विशेष मामले" के शब्दों को संकीर्ण रूप से नहीं समझा और व्याख्या नहीं की जानी चाहिए; इन शब्दों को एक उदार अर्थ में लिया जाना चाहिए, और इस नियम के तहत छूट की शक्ति विशेष परिस्थितियों को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से प्रयोग की जा सकती है, जैसा कि इस मामले में किया गया है।

(9) पूरे मामले पर गहन विचार करने के बाद, मेरा विचार है कि श्री सिब्बल के तर्क में काफी दम है।

(10) मामले की योग्यताओं पर विचार करने से पहले, मैं पहले उस संबंधित नियम का उल्लेख करना चाहूंगा जो सरकार को छूट प्रदान करने की शक्ति देता है, जिसे ऊपर पुनर्प्रस्तुत किया गया है। इस नियम के तहत, सरकार को किसी भी नियम की आवश्यकताओं को छोड़ने या छूट देने की शक्ति दी गई है, लेकिन नियम के पठन से स्पष्ट है कि यह शक्ति मनमाने और सनकी तरीके से प्रयोग नहीं की जा सकती क्योंकि उस शक्ति के प्रयोग के लिए कुछ दिशा-निर्देश नियम में ही संकेत किए गए हैं, जिन्हें निम्नलिखित रूप में सारांशित किया जा सकता है:-

(a) किसी भी नियम के संचालन से अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न होनी चाहिए;

(b) अनावश्यक कठिनाई किसी विशेष मामले में होनी चाहिए; और

(c) उस मामले को न्यायपूर्ण और उचित तरीके से निपटाने के लिए उस शक्ति का प्रयोग आवश्यक होना चाहिए।

(11) इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि उल्लिखित शर्तों का अस्तित्व सरकार द्वारा छूट के अधिकार के प्रयोग के लिए एक पूर्व-शर्त है।

(12) वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर ध्यान देते हुए, मैं पाता हूँ कि वर्ष 1975 में, यह देखा गया कि पी.एस.ई. कक्षा II में कोई भी अधिकारी पदोन्नति के लिए योग्य नहीं था और चूंकि सार्वजनिक हित में तुरंत रिक्तियों को भरना अनिवार्य था, इसलिए, नियम 6(ए) और (बी) के प्रावधानों, जो सेवा में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं प्रदान करते हैं, को 1 जनवरी, 1975 को छूट दी गई। इस छूट के लागू होने पर, 24 अधिकारियों को कक्षा I सेवा में पदोन्नति के लिए योग्य माना गया। उन सभी 24 योग्य अधिकारियों का उनके सेवा रिकॉर्ड और योग्यताओं के आधार पर विचार करते हुए, केवल 14 को पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया। तदनुसार, पंजाब के राज्यपाल ने 14 अधिकारियों को कार्यकारी अभियंता (नागरिक) के रूप में छह महीने की अवधि के लिए, या इन पी.एस.ई. कक्षा II अधिकारियों को पी.एस.ई. कक्षा I सेवा में पदोन्नति के संबंध में आयोग की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, अस्थायी आधार पर पदोन्नति की। आयोग की स्वीकृति कुछ समय के लिए प्राप्त नहीं हुई, जिसके परिणामस्वरूप उक्त 14 व्यक्तियों की अस्थायी आधार पर पदोन्नति और नियुक्ति को छह-छह महीने के आधार पर 29 दिसंबर, 1977 तक जारी रखा गया, जब इन व्यक्तियों को पुनः मूल स्थान पर भेजा गया क्योंकि आयोग ने उनकी पदोन्नतियों की स्वीकृति नहीं दी थी। साथ ही, उसी दिन यानी 29 दिसंबर, 1977 को, एक अन्य आदेश जारी किया गया, जिसके द्वारा नियम 22 के तहत छूट का अधिकार प्रयोग किया गया और नियम 6(ए) और (बी) के प्रावधानों को 1 जनवरी, 1977 को अनुलग्नक पी. 3 में उल्लिखित सीमा तक छूट दी गई और इसके बाद, 21 अधिकारियों को

कार्यकारी अभियंता (नागरिक) के रूप में छह महीने की अवधि के लिए या आयोग की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, अस्थायी आधार पर पदोन्नति की गई।

(13) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि वर्ष 1975 और वर्ष 1977 में, सार्वजनिक हित में कक्षा I सेवा में रिक्तियों को तुरंत भरने की अनिवार्यता के कारण, छूट के अधिकार का प्रयोग किया गया था। अब प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान मामले में सरकार द्वारा छूट का अधिकार वैध रूप से प्रयोग किया गया है? मेरे विचार में उत्तर नकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि नियम 22(1) के तहत छूट के अधिकार के प्रयोग के लिए कल्पित सामग्री पूरी तरह से अनुपस्थित हैं। इस मामले में, छूट का अधिकार सार्वजनिक हित में प्रयोग किया गया था, क्योंकि कक्षा I सेवा में रिक्तियों को तुरंत भरना अनिवार्य हो गया था। अधिसूचना में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि नियम 6(ए) और (बी) में उल्लिखित योग्यताएं किसी व्यक्ति को अनुचित कठिनाई पहुंचा रही थीं, और न्यायसंगत और उचित तरीके से मामले का निपटान करने के लिए, छूट का अधिकार प्रयोग किया जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आता कि कक्षा I सेवा में रिक्तियों की उपलब्धता कैसे कक्षा II सेवा के उन अधिकारियों के लिए अनुचित कठिनाई पैदा कर सकती है जो पदोन्नति के लिए अयोग्य थे।

(14) श्री कुलदीप सिंह, जाने-माने वकील, ने हमारा ध्यान 'मामला' शब्द की परिभाषा की ओर आकर्षित किया, जिसका अर्थ है "घटना या संभवना, उदाहरण, अवसर, परिस्थिति या हालात आदि"। उनका तर्क था कि 'मामला' शब्द का अर्थ परिस्थिति भी होता है, और इस तरह किसी विशेष परिस्थिति को पूरा करने के लिए, छूट का अधिकार प्रयोग किया जा सकता है, जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है। मुझे डर है, मैं इस वकील के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकता। नियम को पूरे रूप में पढ़ा जाना चाहिए और इसके शाब्दिक पाठ से यह दिखता है कि नियम के निर्माताओं का इरादा सरकार को केवल व्यक्तिगत मामले में छूट का अधिकार देने का था, न कि सामान्य परिस्थिति से निपटने के लिए। यह अधिकार केवल तब प्रयोग करने योग्य है जब किसी व्यक्ति को अनुचित कठिनाई को दूर करना आवश्यक हो और वह भी, तब जब यह कठिनाई को न्यायसंगत और उचित तरीके से दूर करना आवश्यक हो। यदि मैं श्री कुलदीप सिंह के तर्क को स्वीकार करता हूँ कि छूट की शक्ति का प्रयोग इस तरह के सामान्य स्थिति से निपटने के लिए किया जा सकता है जैसा कि वर्तमान मामले में सामना किया गया है, तो नियम का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा और सरकार को इस तरह की मनमानी शक्ति के साथ छोड़ दिया जाएगा जो, जब वर्तमान मामले में किए गए स्थिति में प्रयोग की जाती है, तो किसी कठिनाई को दूर करने के बजाय, महान कठिनाई का परिणाम होगा। जैसा कि मामले के तथ्यों से स्पष्ट होता है, छूट की शक्ति के प्रयोग से कक्षा II सेवा में कुछ वरिष्ठ व्यक्तियों को बड़ी कठिनाई हुई है क्योंकि उनसे कनिष्ठ व्यक्तियों को कक्षा I सेवा में पदोन्नति के लिए छूट के परिणामस्वरूप योग्य बनाया गया था। नियम के निर्माताओं का कभी भी इरादा नहीं था कि सरकार को एक अनियंत्रित और अनिर्देशित शक्ति प्रदान की जाए जिसे सामान्य तरीके से या किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए प्रयोग किया जा सके। नियम के निर्माताओं का इरादा यह था कि सरकार को कुछ शक्ति दी जाए ताकि वह किसी असाधारण मामले में न्याय कर सके जब किसी विशेष नियम की लागूता से किसी विशेष व्यक्ति के साथ कोई गंभीर अन्याय हो रहा हो।

(15) उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि नियम 22 के तहत छूट की शक्ति का प्रयोग सरकार द्वारा केवल तब किया जा सकता है जब किसी नियम का संचालन किसी विशेष व्यक्ति को अनुचित कठिनाई का कारण बन रहा हो और सरकार संतुष्ट हो कि उस व्यक्तिगत मामले से न्यायपूर्ण और समान तरीके से निपटने के लिए छूट की शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है। उपर्युक्त निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद, मैं आगे पाता हूँ कि 1975 में सरकार द्वारा दी गई छूट उसकी शक्तियों से परे थी और कानूनी रूप से प्रदान नहीं की जा सकती थी।

(16) इस चरण में, यह देखा जा सकता है कि तर्कों के दौरान, यह श्री सिब्बल को बताया गया था कि यदि उनका तर्क स्वीकार किया जाता है कि नियम 22 के तहत इस तरह की एक सामान्य छूट नहीं दी जा सकती है, तो इससे उनके मुवक्किलों के हितों को हानि पहुंचेगी क्योंकि उन्हें भी सरकार द्वारा दिसंबर, 1977 में दी गई इसी प्रकार की छूट के आधार पर पदोन्नति दी गई थी। जानकार अधिवक्ता ने बहुत न्यायोचित रूप से स्वीकार किया कि यदि उनके द्वारा लगाए गए व्याख्या को स्वीकार किया जाता है, तो निजी प्रतिवादियों की पदोन्नति भी कानून के अनुसार नहीं होगी और यदि सरकार अपना दृष्टिकोण बदलती है, तो उनके मुवक्किलों को कोई शिकायत नहीं होगी।

(17) श्री सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, जानकार अधिवक्ता, ने यह भी तर्क दिया था कि छूट की शक्ति केवल उस व्यक्ति के पक्ष में प्रयोग की जा सकती है जो सेवा का सदस्य बन चुका है, न कि उन व्यक्तियों के पक्ष में जिन्हें अभी सेवा में पदोन्नति दी जानी थी। जानकार अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बी. एस. ढिल्लों, जे. द्वारा श्री सुरजीत सिंह बनाम श्री सोम दत्त और अन्य, (1), में लिए गए विचार में जहां यह कहा गया है कि छूट की शक्ति सेवा के सदस्यों के साथ-साथ नए प्रवेशकों के पक्ष में प्रयोग की जा सकती है, ने सही कानून नहीं बताया। नियम 22 की व्याख्या पर मैंने जो विचार पहले ही ले लिया है, उसे देखते हुए मैं इस जानकार अधिवक्ता के तर्क से निपटने का प्रस्ताव नहीं करता हूं, क्योंकि ऐसा करना आवश्यक नहीं है।

(18) श्री कुलदीप सिंह द्वारा यह भी तर्क दिया गया था कि एक बार प्रयोग की गई छूट की शक्ति को कानूनी रूप से वापस नहीं लिया जा सकता। जानकार अधिवक्ता का सटीक तर्क था कि 1975 में दी गई छूट के विरुद्ध याचिकाकर्ता कक्षा I सेवा में पदोन्नति के लिए योग्य बन गए थे; कि आयोग को स्क्रीनिंग समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों के मामलों की जांच करनी थी; कि आयोग का क्षेत्राधिकार केवल स्क्रीनिंग समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों की उपयुक्तता और योग्यता पर विचार करना था; कि सिफारिश किए गए उम्मीदवारों की योग्यता को सरकार द्वारा दी गई छूट के प्रकाश में विचार किया जाना था; कि आयोग को इस आधार पर अनुमोदन से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं था कि सरकार द्वारा नियम 22 के तहत प्रयोग की गई छूट ने याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ व्यक्तियों को अनुचित रूप से कठिनाई में डाल दिया था और कि सरकार द्वारा बाद में दी गई छूट से पहले की छूट की अधिकता नहीं होगी। मुझे डर है, मैं जानकार अधिवक्ता के इन तर्कों से सहमत नहीं हूँ। याचिकाकर्ताओं और कुछ अन्य लोगों को कक्षा I सेवा में, 5 जुलाई, 1975 को दिए गए आदेश के अनुसार, छह महीने की अवधि के लिए या इन व्यक्तियों को पी.एस.ई. कक्षा I में पदोन्नति के संबंध में आयोग की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया गया था।

ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग की स्वीकृति कुछ समय के लिए प्राप्त नहीं हुई, जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियों को अस्थायी आधार पर बढ़ाते रहे। मामलों की जांच करते समय, आयोग ने एक राय बनाई कि सरकार द्वारा दी गई छूट ने किसी भी कठिनाई को दूर करने के बजाय एक बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को अनुचित कठिनाई में डाल दिया, जो उपरोक्त नियम में निहित छूट के सिद्धांत के विरुद्ध था। जैसा कि आयोग ने छूट को उचित नहीं पाया, इसने स्क्रीनिंग समिति द्वारा उपयुक्त घोषित याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों की पदोन्नतियों को अनुमोदित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। जब मामला आयोग से वापस प्राप्त हुआ, तो सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और आयोग को मामले को पुनः विचार करने के लिए वापस संदर्भित करने के बजाय, आयोग द्वारा व्यक्त की गई राय को स्वीकार किया और उसके बाद 29 दिसंबर, 1977 को जारी एक अधिसूचना द्वारा नियम 6(ए) और (बी) में नई छूट की और उस छूट के आधार पर कक्षा I सेवा में पदोन्नतियां की। इन पदोन्नतियों के परिणामस्वरूप कुछ याचिकाकर्ताओं को वापस लाया गया।

(19) उपर्युक्त तर्कों के आधार पर, जिन प्रश्नों का निर्धारण आवश्यक है, वे हैं कि क्या सरकार द्वारा एक बार दी गई छूट को कानूनी रूप से इस संबंध में किसी विशेष आदेश के बिना वापस लिया जा सकता है और क्या आयोग इस आधार पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है कि सरकार द्वारा दी गई छूट ने अनुचित कठिनाई का कारण बना है? श्री कुलदीप सिंह, जानकार अधिवक्ता, का तर्क था कि छूट के आधार पर याचिकाकर्ताओं को जो लाभ प्राप्त हुआ था, उसे कानूनी रूप से वापस नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि उस छूट के आधार पर याचिकाकर्ता कक्षा I सेवा के लिए योग्य बन गए थे। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने श्री सुदर्शन सूद, उप-विभागीय अधिकारी बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2) पर भरोसा किया। मुझे खेद है, मैं याचिकाकर्ताओं के लिए जानकार अधिवक्ता से सहमत नहीं हो सकता हूं। छूट नियम 22 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके दी गई थी। आयोग ने सरकार को इस बात का नोटिस दिया कि छूट की शक्ति के प्रयोग से, जो अच्छा करने के बजाय, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को, जो उन व्यक्तियों से वरिष्ठ थे जिन्हें छूट दी गई थी, महान कठिनाई में डाल दिया था। सरकार ने इस सलाह को स्वीकार किया। मुझे सरकार द्वारा आयोग की सलाह को स्वीकार करने में कुछ भी गलत नहीं लगता है। यदि सरकार को यह बताया जाता है कि उसने जो किया था वह उचित या कानूनी नहीं था, तो मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि सरकार के सामने क्या बाधा आएगी जो उस सलाह को स्वीकार करने से रोकेगी। यह वह मामला नहीं है जहां याचिकाकर्ता योग्य थे और उन्हें अधिकार के रूप में पदोन्नति दी गई थी; बल्कि मामला यह है कि वे अयोग्य थे और सरकार द्वारा दी गई छूट के आधार पर लाभ का दावा कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ऐसी शक्ति के प्रयोग का लाभ दावा नहीं कर सकते हैं जो शुरुआत से ही अवैध रूप से प्रयोग की गई थी। इस तरह की शक्ति के प्रयोग ने उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया, न ही वे ऐसे अधिकार पर अपना दावा आधारित कर सकते हैं।

(20) इस प्रस्ताव के समर्थन और विरोध में कई तर्क दिए गए कि क्या आयोग के पास सरकार द्वारा दी गई छूट के कारण कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को महान कठिनाई होने के आधार पर अनुमोदन देने से इनकार करने की कोई शक्ति थी या नहीं। श्री कुलदीप सिंह का तर्क था कि आयोग में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, जबकि श्री सिब्बल का तर्क था कि इस तरह की शक्ति कानूनी रूप से प्रयोग की जा सकती है। मैं इस मामले के इस पहलू की योग्यताओं में जाने का प्रस्ताव नहीं करता हूं क्योंकि मैंने पहले ही यह निर्धारित किया है कि छूट की शक्ति का प्रयोग अवैध रूप से किया गया था और सरकार के पास नियम 22 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके ऐसी छूट देने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में, सरकार अपने पहले के निर्णय से चिपके रहने से इनकार कर सकती है जिसमें छूट दी गई थी और याचिकाकर्ता कानूनी रूप से यह दावा नहीं कर सकते कि वे योग्य बन गए हैं और कक्षा I सेवा में पदोन्नति के लिए योग्य बने रहेंगे, उनके बाद बाद में नियम 22 के तहत दी गई छूट के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करने वालों की तुलना में।

(21) इससे मुझे यह प्रारंभिक आपत्ति आती है कि याचिकाकर्ता, जो केवल अस्थायी कर्मचारी हैं, इस न्यायालय में आकर और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके राहत का दावा करने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। मामले की परिस्थितियों में, मैं प्रतिवादियों के लिए जानकार अधिवक्ता के इस तर्क में काफी दम पाता हूं। याचिकाकर्ताओं को अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया गया था, आयोग की स्वीकृति के अधीन, जो कुछ समय के लिए प्राप्त नहीं हुई थी जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियों को अस्थायी आधार पर बढ़ाती रही। अंततः आयोग ने अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर दिया।

पहली अस्थायी नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद, सरकार ने याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियों को अस्थायी आधार पर बढ़ाती रही। यदि सरकार ने अस्थायी आधार पर प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति का नवीनीकरण नहीं किया होता, तो यह स्वीकार्य है कि उन्हें उनके मूल पद पर कक्षा II सेवा में वापस भेज दिया जाता। उस समय, वे इस न्यायालय में नहीं आ सकते थे और यह निर्देश नहीं मांग सकते थे कि उन्हें सेवा में तब तक बने रहने की अनुमति दी जाए जब तक आयोग की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती। इस प्रकार, मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि याचिकाकर्ता उस पद पर कैसे एक अधिकार के रूप में दावा कर सकते हैं जिस पर उन्हें अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया गया था। इस मामले की परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी आधार पर होने के कारण उन्हें इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके राहत प्राप्त करने का अधिकार नहीं देती है।

(22) निर्धारण के लिए कोई अन्य बिंदु नहीं उठता है।

(23) ऊपर दर्ज की गई वजहों से, ये सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के खर्च के आदेश के बिना।

सी. एस. तिवाना, जे.- मैं सहमत हूँ।

एच.एस.बी.

ए. डी. कोशल, सी.जे. और एस. एस. दीवान, जे. के समक्ष

रोशन लाल आनंद आदि - याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य - प्रतिवादी

सिविल रिट याचिका संख्या 1385, 1975

18 मई, 1978

पंजाब जिला अटॉर्नी सेवा नियम 1960-नियम 3, 5 और 12(1)-नियम 5(2) (सी) (द्वितीय) में आये "स्थानांतरण" शब्द-क्या स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति को रोकता है जो पदोन्नति के रूप में भी कार्य करता है-नियम 12 (1)-क्या उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिन्हें उनके कैडर के विलय पर नियुक्त किया गया था।

माना कि पंजाब जिला अटॉर्नी सेवा के उप-नियम 5 की धारा (सी) की उप-धारा (द्वितीय) में 'स्थानांतरण' शब्द है

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रामनीक कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
फ़रीदाबाद, हरियाणा